

35/2021 रामकृष्ण - कैसरी देवी आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18-8-21	<p>पत्रायली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण सीमांत शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरीक न्य नोट दाखिल दफतर हो।</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	<p>not press by me 21/08/21 18/8/21</p>